


23.07.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थी वकील अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे कोई कार्यवाही नही चाही जा रही है प्रकरण 2016 के तलबी स्तर पर चल रही है। प्रार्थी व अप्रार्थी दोनो अधिवक्तागण को 06.01.2022 को 100-100 रूप्ये कोष्ट पर अवसर दिया गया था। दिनांक 23.05.2022 एव 17.02.2023 से अगातार कोष्ट पर अवसर दिया जा रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। प्रार्थी व अप्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

